न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण सख्या:—107 / 17 दायर दिनांक:—12.09.2017

जीसीएमएस नं. 2017 / 00238

1. लालाराम पुत्र बृज लाल उम्र 53 साल जाति जाटव निवासी लोगटीयान का पुरा तन चमरपुरा (दुघाटी) तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली

———सायल

बनाम

1. हीरालाल पुत्र मांग्या उम्र 60 साल जाति जाटव निवासी लोंगटीयान का पुरा तन चमरपुरा दुघाटी तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली
2. रूपसिंह उम्र 60 साल
3. रमेश उर्म भूरा
4. नन्नु

} पिसरान हीरालाल जाति जाटव निवासी लोंगटीपुरा तन चमरपुरा मौजा, फुलवाडा तहसील हिण्डौन सिटी जिला करोली राज0

——गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित—1.श्री महेश पण्डा वकील सायलान
2.श्री संजय शर्मा वकील गैरसायलान

निर्णय

दिनांक 15.05.2024

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि भूमि खसरा न0 1546 रकबा 0.06 है0 किस्म बारानी—2, 1565 रकबा 0.27 है0 किस्म बारानी—2, 1581 रकबा 0.4 है0 किस्म बारानी—2 कुल खसरा 3 कुल क्षेत्रफल 0.73 है0 वाके ग्राम बन्ध का पुरा पटवार हल्का फुलवाडा, तहसील हिण्डौन सिटी में स्थित है। भूमि मुतजिक्रा मद न0 2 प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात का सायल रिकॉर्डेड खातेदार टीनेन्ट है। उक्त वर्णित आराजीयात सायल की जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र खरीदशुदा भूमि है और सायल उक्त आराजीयात को करीब 40 [illegible] कब्जा काश्त करता चला आ रहा है तथा फसद दर फ[illegible] दरोह करता चला आ रहा है। तथा सरकारी [illegible] राज में जमा कर[illegible] है। गैरसायलान नम्बर 1 लगायत 4 का गांव में ए[illegible] गिरोह है, जिनका कुटम्[illegible] बडा है। जो कि गैरसायलान जबरन लठ्ठ के बल पर सायल की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि वर्णित मुतजिक्रा मद न0 2 प्रार्थना पत्र पर जबरन कब्जा कर छीनना चाहते है जबकि गैरसायलान का उक्त आराजीयात वर्णित मुतजिक्रा मद न0 2 प्रार्थना

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.01.30 16:03:06 IST
Reason: SelfAttested

पत्र से किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है। मुतजिक्रा मद न0 2 प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में सायल ने वर्तमान में खरीफ फसल बाजरा व तिली काश्त कर रखी है। जो कि फसल पकी हाल में खडी है तथा सायल ने उक्त भूमि में गत वर्ष रवि की फसल सरसों गेंहू काश्त की थी। और बाद में दरोह की थी। सायल करीब 40 साल से बदस्तुर आज तक फसलदर फसल काश्त कर रहा है।

बांका दिनांक 25.08.2017 को करीब सुबह 11 बजे जब सायल अपने खातेदारी व कब्जा काश्त के खेत वर्णित मुतजिक्रा मद न0 2 प्रार्थना पत्र में खडी फसल बाजरा व तिली को देखभाल कर रहा था। तो एकदम गैरसायलान न0 1 लगायत 4 हाथो में लाठी व फरसा ले लेकर सायल के खेतो पर जबरन आ धमके और गैरसायलान न0 1 लगायत 4 ने ऐलानियों धमकी दी कि हम तुम्हे तुम्हारे खते वर्णित मुतजिक्रा मद न0 2 प्रार्थना पत्र से जबरन लठ्ठ के बल पर बेदखल कर उक्त खेतों पर जबरन कब्जा, करेगें और गैरसायलान न. 1 लगायत 4 ने सायल के कब्जा काश्त करेगें और गैरसायलान न0 1 लगायत 4 ने सायल के कब्जा काश्त में मजामहत मदाखलत पैदा करने की धमकी दी। तथा वर्तमान में सायल की खेतों में खडी फसल बाजरा व तिली को जबरन काटने एवं नष्ट करने की धमकी दी तो सायल ने गैरसायलान से हाथ जोडकर निवेदन किया कि भाइयों ऐसा क्यो करते हो यह खेत तो मेरी खरीदशुदा भूमि होने से करीब 40 साल से मै सायल ही उक्त भूमियों को बदस्तुर आज तक कब्जा काश्त करता चला आ रहा हूँ फिर तुम आज ऐसी वारदात क्यों कर रहे हों, मेरे खेतो को जबरन लठठ के बल पर क्यों छिनना चाहते हो इतना कहते ही सभी गैरसायलान नम्बर 1 लगायत 4 सायल को जान से मारने के लिये हमलावर हुये तो सायल एकदम चिल्लाया तो मौका गवाहान बहदुर हुक्मचंद बगै0 ने बडी मुश्किल से सायल को बचाया। इस प्रकार गैरसायलान नम्बर 1 लगायत 4 के उक्त कृत्य से सायल के हक हकूकों पर विपरीत प्रभाव पडेगा। जिससे सायल को अकथनीय व अपूर्तणीय हानि होगी।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना–पत्र स्वीकर फरमाया जाकर गैरसायलान को दौराने वाद इस प्रकार पाबन्द फरमाया जावें कि भूमि मुतजिक्रा मद न0 2 प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात से गैरसायलान नम्बर 1 लगायात 4 जबरन सायल को [illegible] उक्त भूमियों पर जबरन कब्जा नहीं करे। सायल की कब्जा काश्त में मजामहत [illegible] नहीं करें तथा सायल की वर्तमान में खडी फसल बाजरा व तिली को [illegible] नहीं काटे और ना ही सायल की फसल को नष्ट करे। सायल के हक हकूक[illegible] किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुचावे। उक्त कार्यवाही ना तो स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करावे। सायल को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.01.30 16:03:06 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड डॉक द्वारा की गई। गैरसायलान नं0 1 ता 4 की ओर से श्री संजय शर्मा अधिवक्ता द्वारा बकालतनामा पेश किया गया एवं दिनांक 14.02.2020 का गैरसायलान 1 ता 4 की ओर से जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जबाव प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई सायल वकील द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया गया एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार करने हेतु निवेदन किया गया। गैरसायलान वकील द्वारा अपनी बहस में जबाव प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय खर्चा खारिज फरमाने का निवेदन किया है।

प्रकरण में उभयपक्षीय वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत 2069–72 खाता संख्या 1 खसरा नं0 1546, 1565, 1581 कुल किता 3 कुल रकवा 0.73 है0, खसरा गिरदावरी (चतुवर्षीय) संवत 2069–72 वाके ग्राम बंधकापुरा तहसील हिण्डौन जिला करौली के आधार पर गैरसायलान का उक्त विवादित आराजीयात से कोई संबंध व ताल्लुक नहीं है, का अवलोकन किया गया तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि उक्त प्रकरण के दावे के संबंध में सिविल न्यायालय में एक वाद विचाराधीन है चूँकि उक्त प्रकरण का निस्तारण मूल वाद के निर्णय पर होगा तब तक उभयपक्ष की दौराने दावा पेचिदगियॉ पैदा नहीं हों, मौके की स्थिति में परिवर्तन एवं अनावश्यक वादकरण बढने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में दिनांक 13.09.2017 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल दावे के ताफैसला होने तक स्वीकार किया जाता है कि उभयपक्ष विवादित आराजी की मौका की यथा स्थिति ताफैसला बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 14.05.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.01.30 16:03:06 IST
Reason: SelfAttested

14/5/24

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन